

STATEMENT-VII - SCHEDULE OF RATES OF TAXES/ELECTRICITY & WATER TARIFF/USER CHARGES ETC.

COMMERCIAL DEPARTMENT

WATER TARIFF

RATES APPLICABLE W.E.F. 01.07.1998 (WATER CHARGES)		
Category-I (Domestic) Metered Water Connections		
	CATEGORY	CHARGES
a)	upto 10,000 Lt.P.M.	@ Rs.0.35 + 50% per 1000 Lt.
b)	above 10,000 Lt. & upto 20,000 Lt. P.M.	@ Rs.1.00 + 50% per 1000 Lt.
c)	above 20,000 Lt. & upto 30,000 Lt. P.M.	@ Rs.1.50 + 50% per 1000 Lt.
d)	above 30,000 Lt.	@ Rs.3.00 + 50% per 1000 Lt.
e)	Minimum charges p.m. for consumption upto 20 kl	Rs.20+50% per water connection
f)	Unmetered WCs for three months only	Rs.20+50% per month and after three months it will be doubled.
1A.	Permitted used solely for residential purposes including such residential and domestic buildings having lawns and kitchen gardens, Dhobi Ghats, Andh vidyalayas, working women's hostels, dharmshalas, cremation grounds, religious places, poor homes for desittutes, institute for physcially/mentally handicapped, Govt. Aided schools, Pios meant for drinking purposes only. Hostels attached with educational institutions having separate water connections.	
1B.	In case of bulk connection for a colony serving number of residential premises consumption: -	
a)	upto 10,000 Lt.P.M.	@ Rs.0.35 + 50% per 1000 Lt.
b)	above 10,000 Lt. & upto 20,000 Lt. P.M.	@ Rs.1.00 + 50% per 1000 Lt.
c)	above 20,000 Lt. & upto 30,000 Lt. P.M.	@ Rs.1.50 + 50% per 1000 Lt.
d)	above 30,000 Lt.	@ Rs.3.00 + 50% per 1000 Lt. subject to minimum charges of Rs.20.00+50% per month per dwelling unit.
1C.	Orphanages entire consumption be charged at the rate of 0.35 paise per KL. An additional charge of 30% of water charges shall also be levied.	
RATES APPLICABLE W.E.F. 01.06.1998 FOR NON DOMESIT CATEGORIES (I.E.) CATEGORY-II		
Category-II (Non-Domestic)		
a)	Upto 50,000 Lt. P.M.	@ Rs.5.00 + 50% per 1000 Lt.
b)	Above 50,000 Lt. P.M.	@ Rs.10.00 + 50% per 1000 Lt.
Shops, offices, Household Industries being sun in residential premises, Hospitals, Clinics, Dispensaries, Educational Insitutions, Public Urinals		

विवरण-VII- कर की दरों/विद्युत एवं जल दर/प्रयोग प्रभार आदि की अनुसूची
वाणिज्य विभाग
जल-शुल्क दर

दिनांक 01.07.1998 (जल-प्रभार) से लागू दरें		
श्रेणी-1 (घरेलू) मीटर युक्त जल कनेक्शन		
	श्रेणी	शुल्क दरें (प्रभार)
क	100000 लीटर प्रति मास तक	0.35 रुपये+50 प्रतिशत प्रति 1000 लीटर
ख	100000 लीटर से अधिक तथा 200000 लीटर प्रति मास तक	1.00 रुपये+50 प्रतिशत प्रति 1000 लीटर
ग	200000 लीटर से अधिक तथा 300000 लीटर प्रति मास तक	1.50 रुपये+50 प्रतिशत प्रति 1000 लीटर
घ	300000 लीटर से अधिक	3.00 रुपये+50 प्रतिशत प्रति 1000 लीटर
ड	20 किलो लीटर तक की खपत हेतु न्यूनतम प्रभार प्रति मास	20/-रुपये+50 प्रतिशत प्रति जल कनेक्शन
च	केवल 3 मास हेतु बिना मीटर के जल कनेक्शन	20/-रुपये+50 प्रतिशत प्रति मास तथा 3 मास के पश्चात् यह दोगुना हो जायेगा
1. अ	परिषद् केवल यथा आवासीय तथा घरेलू भवन जिनमें उद्यान तथा सब्जियों के बगीचे हों, धोबी घाटों, अन्ध विद्यालय, कामकाजी महिला होस्टल, धर्मशाला, शमशान भूमि, धार्मिक स्थलों, निराश्रितों के लिए अनाथालय, शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांगों के लिए संस्थान, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, केवल प्रयोजनों हेतु प्याऊ आदि हो, पृथक जल कनेक्शन वाले शैक्षणिक संस्थानों के साथ जुड़े होस्टल हों	
1. ब	काफी संख्या में आवासीय परिसरों में खपत हेतु सेवारत कालोनी के लिए थोक कनेक्शन के मामले में	
क.	10000 लीटर प्रतिमास तक	0.35 रुपये + 50 प्रतिशत प्रति 1000 लीटर
ख.	10000 लीटर से अधिक तथा 200000 लीटर प्रतिमास तक	1.00 रुपये + 50 प्रतिशत प्रति 1000 लीटर
ग.	20000 लीटर से अधिक तथा 300000 लीटर प्रतिमास तक	1.50 रुपये + 50 प्रतिशत प्रति 1000 लीटर
घ.	30000 लीटर से अधिक	20/-रुपये + 50 प्रतिशत प्रतिमास प्रति घरेलू इकाई के न्यूनतम प्रभार की शर्त पर 3.00 रुपये + 50 प्रतिशत प्रति 1000 लीटर की दर से
1.स	अनाथालय की समस्त खपत 0.35 पैसे प्रति किलो लीटर की दर पर प्रभारित होगी । जल प्रभार के 30 प्रतिशत के अतिरिक्त प्रभार भी उद्गृहीत किया जायेगा ।	
गैर घरेलू श्रेणियों (आई.ई.) श्रेणी-2 हेतु दिनांक 01.06.1998 से लागू दरें		
श्रेणी-2 (गैर-घरेलू)		
क.	50000 लीटर प्रतिमास तक	5.00 रुपये + 50 प्रतिशत प्रति 1000 लीटर की दर से
ख.	50000 लीटर प्रतिमास से अधिक	10.00 रुपये + 50 प्रतिशत प्रति 1000 लीटर की दर से

आवासीय परिसरों में चल रही दुकानों, कार्यालयों, घरेलु उद्योग, अस्पताल, क्लिनिक, औषधालय, शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक मंत्राल

STATEMENT-VII - SCHEDULE OF RATES OF TAXES/ELECTRICITY & WATER TARIFF/USER CHARGES ETC.

COMMERCIAL DEPARTMENT

WATER TARIFF

RATES APPLICABLE W.E.F 28.04.2008 FOR NON DOMESTIC CATEGORIES (I.E.) CATEGORY-III

Category –III:		
(a)	Fixed monthly access charges	
	Non – domestic premises - Rs 600/- per connection p.m	
(b)	Volumetric Charges :	
Non Domestic Category III		
	Consumption in KL p.m	Slab Rate Per KL
	Upto 25	Rs. 15/-
	Above 25 & upto 50	Rs. 25/-
	Above 50 & upto 100	Rs. 35/-
	Above 100	Rs. 50/-

MINIMUM CHARGES:		
Size of meter		
Marked in MM	Category-I	Category-II
15	20.00+50%	100.00+50%
20-25	100.00+50%	100.00+50%
40-50	200.00+50%	200.00+50%
80 and above	500.00+50%	500.00+50%

NDMC EMPLOYEES
 Water connections sanctioned to Municipal Employees in municipal accomodation for their bonafide domestic use and availing concessional tariff at fixed rate Rs. 2 per month.

विवरण-VII- कर की दरों/विद्युत एवं जल दर/प्रयोग प्रभार आदि की अनुसूची
वाणिज्य विभाग
जल-शुल्क दर

गैर-घरेलू श्रेणियों (आई.ई.) श्रेणी-3 हेतु दिनांक 28.04.2008 से लागू दरें		
श्रेणी-3		
क.	निर्धारित मासिक अधिक प्रभार	
	गैर-घरेलू परिसरों-600/-रुपये प्रति कनेक्शन प्रति माह	
ख.	परिमाण प्रभार	
गैर-घरेलू श्रेणी-3		
	खपत किलो लीटर प्रति मास में	स्लैब दर प्रति किलो लीटर
	25 किलो लीटर तक	15/-रुपये
	25 किलो लीटर से अधिक एवं 50 किलो लीटर तक	25/-रुपये
	50 किलो लीटर से अधिक एवं 100 किलो लीटर तक	35/-रुपये
	100 किलो लीटर से अधिक	50/-रुपये
न्यूनतम प्रभार		
मीटर का आकार		
मि.मी. में चिन्हित	श्रेणी-1	श्रेणी-2
15	20.00 + 50 प्रतिशत	100.00 + 50 प्रतिशत
20.25	100.00 + 50 प्रतिशत	100.00 + 50 प्रतिशत
40.50	200.00 + 50 प्रतिशत	200.00 + 50 प्रतिशत
80 तथा अधिक	500.00 + 50 प्रतिशत	500.00 + 50 प्रतिशत
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् कर्मचारी		
पालिका परिषद् आवास में पालिका कर्मचारियों को उनके सद्भावपूर्ण घरेलू उपयोग हेतु जल कनेक्शन के लिए 2/-रुपये प्रतिमास की निर्धारित दर पर रियायती शुल्क प्राप्त करते हुए स्वीकृत जल कनेक्शन		